

सयऔसट केन्द्रिय विद्यालय जिला

अद्यतन जानकारी 15 सितंबर, 2016

सेवा में

माता पिता और अभिभावकों,

हम खाने पीने की एलर्जी के बारे में नई प्रक्रियाओं को लागू कर रहे हैं और हम उनके प्रभाव और स्पष्टता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस उद्देश्य के हित में, हम आपको एलर्जी की संशोधित सूचना तथा जन्मदिन समारोह में खाने वाली पूर्व मंजूरी चीजों की सूची भेज रहे हैं।

हमारे कई छात्रों को विभिन्न खाने पीने की चीजों से एलर्जी होने के लक्षण, जैसे की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा, आंखों में जलन, नाक, गाला, चमड़े की खुजली, तथा गंभीर सांस और दिल की शिकायतों के लक्षण भी होते हैं। यह प्रतिक्रियाएँ एलर्जन खाने एवम् केवल सूंघने से भी हो सकती हैं।

मूंगफली, अखरोट अन्य दूसरे पेड़ की सुपारी, दूध, अंडा, सोया, मछली, कस्तूरा, गेहूँ और तिल अक्सर एलर्जी के लक्षण पैदा कर सकते हैं।

सयऔसट केन्द्रिय विद्यालय जिला (सयऔसट सेंट्रल स्कूल डिस्ट्रिक्ट, एससीएसड, SCSD) अपने छात्रों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए बहुत प्रयास करता है। आकस्मिक जोखिम को कम करने के लिए और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लक्ष्य में, इस साल हमारे जिले ने नई नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है। खाने पीने की एलर्जी के बारे में हमारे सभी छात्रों को सुरक्षित रखना एक साझा जिम्मेदारी है, और हर समुदाय के सदस्य के द्वारा सहयोग से हम सभी को लाभ होगा।

इस पतझड़ के मौसम में जिला के सभी के कर्मचारियों के लिए खाने पीने की एलर्जी के बारे में शिक्षा और एक आपात की स्थिति में प्रतिक्रिया करने का प्रशिक्षण होगा।

प्रत्येक विद्यालय भवन के कई हिस्सों में आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण (स्वयं को लगाने वाली एपिनेफ्रीन दवा की सुई, जिसको "Epi-Pen" कहा जाता है) भी उपलब्ध होंगे। छात्रों की उम्र पर निर्भर उचित तरीकों से शिक्षकों को उन्हें समझाना होगा कि गंभीर एलर्जी एक जरूरी मामला है। तथा अपना भोजन या पार्टी का नाशता दूसरे बच्चों के साथ बाँटना या अदला बदली करना असुरक्षित है।

हम समझते हैं कि सब आकस्मिक जोखिम नहीं रोके जाते। फिर भी, आकस्मिक जोखिम को कम करने के लिये प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी बच्चे सुरक्षित रूप में समूह की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं एवम् प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति की गोपनीयता की सुरक्षित रही गी।

सभी प्राथमिक स्कूलों में निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप आवेदन करने से हम सुनिश्चित करेंगे की जिले में सभी भागों में रहने वाले छात्रों के लिए इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्ती हो।

कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं इस प्रकार हैं:

- खाने का सामान कक्षा में इनाम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर जन्मदिन पार्टियों में भोजन शामिल करने का फैसला लिया जाता है, तो महीने में एक बार से जादा नहीं होगा। इसके अलावा, छात्रों को उनके वास्तविक जन्मदिन पर विशेष बनाने के लिए अन्य तरीकों इस्तेमाल किया जाएगा। मासिक उत्सव के लिए, स्कूल के एक पूर्व निर्धारित भोजन चयन है कि कम से कम एक आइटम कक्षा में हर छात्र के लिए सुरक्षित हो।
- कम से कम एक मेज प्रत्येक कैफेटेरिया में नामित किया जाएगा, जिन पे छात्रों मूंगफली या अनेक ड्राई फ्रुट युक्त लंच (मूंगफली का मक्खन, बादाम मक्खन, मूंगफली युक्त ग्रेनोला, आदि) बैठ कर खा सकते हैं। हर प्रयास किया जाएगा की एलर्जन जो कभी कभी हवाई बन सकता है को दूर रखे। इसके अलावा, इस मेज के लिए विशेष सफाई प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। इन प्रयासों से जोखिम कम हो जाएगा, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि अन्य सभी टेबल एलर्जी से ग्रस्त मरीजों के लिए सुरक्षित हैं।

- सब ही अध्यापक जिस की कक्षा में जीवन धमकी एलर्जी वाले छात्रों हैं, वो अपने आपातकालीन फ़ोल्डर में यह जानकारी रखेंगे।
- सेकेंडरी विद्यालयों में हर कक्षा में कुछ कुर्सियों को कम एलर्जिक सीटों के रूप में नामित किया जाएगा। इन कुर्सियों पर एलर्जीकार खाना रखना मना है। और उन पर विशेष सफाई प्रक्रियाओं इस्तेमाल किये जाएंगे।

हर माता-पिता/अभिभावक की जिम्मेदारी है अपने बच्चे का एलर्जी के बारे में स्कूल नर्स या व्यवस्थापक को रिपोर्ट करें, जिससे स्कूल जिला स्कूल के वातावरण के भीतर छात्र को समायोजित कर सके।

इस प्रकार, माता-पिता से आग्रह है की वह नव संशोधित छात्र स्वास्थ्य सेवा नीति से परिचित हों।

एलर्जी और तीव्रग्राहिता प्रबंधन के कुछ प्रमुख तत्व:

- माता पिता / अभिभावकों अपने एलर्जी पीड़ित बच्चे को पहला लक्षण पहचान करने की शिक्षा दें, और स्कूल कर्मचारियों से संवाद करने की शिक्षा दें, और बच्चे को समझाए की बर्तन और भोजन बिलकुल शेयर नहीं करना है।
- माता-पिता और / या अभिभावक द्वारा अधिसूचना पर, एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजना (IHP), आपातकालीन देखभाल योजना, या एक धारा 504 आवास योजना विकसित करने के लिए एक सम्मेलन किया जा सकता है, अगर छात्र 1973 के पुनर्वास अधिनियम के पात्र है।
- छात्र के जीवन के लिए खतरा एलर्जी आपात ग्रीन कार्ड में प्रलेखित किया जाना चाहिए, जो माता-पिता / अभिभावक को पूरा कर के और स्कूल में लौटाना होगा।
- एक पूर्व अनुमोदित नाश्ता सूची जिला स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और स्कूल वर्ष की शुरुआत में माता-पिता / अभिभावक को वितरित किया जाएगा। इस नाश्ता सूची का अद्यतन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

हमें पता है कि इन नई प्रक्रियाओं में कुछ समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं।

हमें उम्मीद है कि आप और आपका परिवार गर्मियों के शेष दिनों को आनंद से व्यतीत करें। हम एक सुरक्षित और समृद्ध स्कूल वर्ष के लिए तत्पर हैं।

प्रतिष्ठा से,

सयऔसट केन्द्रिय विद्यालय जिला